राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग, राजस्थान

क्रमांकः प.4(1)(3)निष्क्रमण / 2011—12 / 101—221 दिनांक : 26.04.2011

परिपत्र

वर्षा प्रारम्भ होते ही स्थाई निष्क्रमण की भेड़ों का पूर्वानुसार मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात एवं हरियाणा आदि राज्यों से राज्य के पठारी जिले सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, चितौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, अलवर एवं धौलपुर आदि में आना प्रारम्भ हो जायेगा। अतः निष्क्रमण कार्य शान्तिपूर्ण / नियंत्रित रूप से सम्पादित करने हेतु निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैः—

1. निष्क्रमण कार्य हेतु नियुक्त किये गये नोडल अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति सूचना तत्काल ही अपने नियंत्रण अधिकारी, निदेशालय को व उसके अधीनस्थ स्थाई निष्क्रमण चौकियों के प्रभारी, स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस एवं वन विभाग के अधिकारियों को देगें।
2. नोडल अधिकारी अपने नियुक्त स्थानों पर पहुंच कर तुरन्त ही उपखण्ड अधिकारी,तहसीलदार एवं एस. एच. ओ., पुलिस चौकी प्रभारी से सम्पर्क कर निष्क्रमण व्यवस्था तथा उसमें अपेक्षित सहयोग के बारे में विचार विमर्श कर तदनुसार कार्यवाही करेंगें।
3. प्रत्येक नोडल अधिकारी का कार्यक्षेत्र उनके अधीनस्थ चौकियों का कार्यक्षेत्र होगा। सभी नोडल अधिकारी उनके अधीनस्थ चौकियों का पूर्ण पर्यवेक्षण करेंगें तथा चौकियों से भेड़ों की सूचना एकत्रित कर प्रति सप्ताह सूचना संबंधित नियंत्रण अधिकारी को भिजवाते हुए एक प्रति निदेशालय को उप निदेशक (निष्क्रमण) व प्रभारी अधिकारी, कन्ट्रोल रूम को नियमित रूप से भिजवाते रहेंगें। नोडल अधिकारी अपने क्षेत्र के लिए स्वयं जिम्मेदार होगें।
4. नोडल अधिकारी समय समय पर अधीनस्थ चैकपोस्टों का निरीक्षण करगें तथा अपने अधीनस्थ चौकियों पर नियुक्त कर्मचारियें का मार्गदर्शन करते रहेंगें। यदि किसी प्रकार की स्थानीय समस्या हो तो उसके लिए उपखण्ड अधिकारी, एस. एच. ओ. व स्थानीय जिला प्रशासन के अधिकारियों से सम्पर्क कर समस्या का तुरन्त निराकरण करायेगें। इसकी सूचना नियंत्रण अधिकारी को तुरन्त देंगें।
5. अन्य विभाग के कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति सूचना निष्क्रमण चौकी प्रभारी को देनी होगी। चौकी प्रभारी इसकी सूचना सम्बन्धित अधिकारियों के साथ कन्ट्रोल रूम, जयपुर को समय पर प्रेषित करेंगें।
6. जिस क्षेत्र में भेड़ों का प्रवेश हो उस क्षेत्र की निष्क्रमण चौकियों पर नियुक्त कर्मचारी भेड़ों की संख्या, नम्बरदार का नाम मय पूर्ण पते के, रेवड़ो की संख्या और आने तथा जाने के निष्क्रमण मार्गों का इन्द्राज अपने रजिस्टर में रखेगें तथा दंग की सूचना तत्काल ही अग्रिम चौकी को भेजेंगें ताकि समय पर तथा क्षेत्र में गन्तव्य स्थान पर पहुंच कर सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही व व्यवस्था कर सकगें।
7. इन भेड़ों को लेकर यदि स्थानीय जनता व भेड़पालकों के मध्य किसी प्रकार की समस्या व शिकायत हो तो उसकी सूचना संबंधित नियंत्रण अधिकारी एवं स्थानीय जिला प्रशासन को तुरन्त देगें, जिससे समस्या का समाधान मोके पर ही किया जा सके।
8. नोडल अधिकारी अपने अधीनस्थ चौकियों की दंगवार साप्ताहिक सूचना प्राप्त कर तथा संकलित कर नियंत्रण अधिकारी एवं निदेशालय को संलग्न प्रपत्र में नियमित रूप से भिजवाते रहेंगें। वे अपने स्तर पर पूरे क्षेत्र की सूचना को संकलित करते समय निष्क्रमण चैकपोस्टों पर एक ही दंग को दो या दो से अधिक बार संकलित किया गया हो तो उसे पाक्षिक / मासिक प्रतिवेदन में एक बार ही गणना करें, जिससे यह पता लगाया जा सके कि अमुक समय में अमुक क्षेत्र में वास्तव में कुल भेड़ों की संख्या कितनी थी।
9. दंगवार जो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें जिलेवार छांटा जावे, जिससे यह पता लग सके कि अमुक

समय में अमुक संख्या में भेड़े आई हैं। इससे भविष्य में कार्यक्रम निर्धारित करने में मदद मिलगी।

10. चैकपोस्ट प्रभारी/नोडल अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी अपने क्षेत्र की भेड़ों के स्वास्थ्य की देखरेख करते रहेगें, जिसके लिए समुचित मात्रा में टीके एवं औषधियों की व्यवस्था रखेंगें।
11. नोडल अधिकारी साप्ताहिक सूचना से जिला कलेक्टर को अवगत कराते रहेंगें।
12. संबंधित नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर के सुझावानुसार आवश्यक अस्थाई निष्क्रमण चैकपोस्ट स्थापित कर अपने क्षेत्र के कर्मचारियों को अपने स्तर पर लगाकर निदेशालय को सूचित करेंगें।
13. प्रत्येक माह की साप्ताहिक सूचना 1 से 7 तक, 8 से 15 तक, 16 से 23 तक और 24 से 31 तक नियमित रूप से भिजवाते रहेंगें।
14. नोडल अधिकारी चैकपोस्टों से प्राप्त सूचना का अवलोकन करते समय यह सुनिश्चित करें कि अमुक दंग यदि किसी चैकपोस्ट क्षेत्र में गत साप्ताहिकी में था तो वर्तमान साप्ताहिकी में वहीं दंग किस क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। इसका सही इन्द्राज चैक करें।
15. राज्य से अन्य प्रदेशों में चले जाने वाली भेडों की गणना प्रदेशवार रखी जानी चाहिए ताकि यह अवगत रहे कि कितनी भेड किस प्रदेश में प्रवेश कर गई है।
16. नियंत्रण/नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित चैकपोस्ट पर नियुक्त विभागीय कर्मचारी अपनी चैकपोस्ट पर उपस्थित रहे।

(राजेश शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः प.4(1)(3)निष्क्रमण/2011—12/101—221 दिनांक : 26.04.2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर/कोटा/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
4. महानिरीक्षक पुलिस रैंज, जयपुर/कोटा/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर
5. जिला कलेक्टर———————————
6. जिला पुलिस अधीक्षक————————————
7. अतिरिक्त निदेशक (उत्पादन)/(पशु—स्वास्थ्य), निदेशालय/
8. संयुक्त निदेशक (स्माल एनीमल),निदेशालय
9. संयुक्त निदेशक क्षेत्र, पशुपालन विभाग————————————
10. उप निदेशक, पशुपालन विभाग———————————
11. सम्बधित सहायक निदेशक, पशुधन विकास/निष्क्रमण——————
12. सम्बधित प्रभारी, पशु चिकित्सालय——————————
13. प्रभारी, स्थाई/अस्थाई भेड निष्क्रमण चैकपोस्ट, ——————————
14. रक्षक पत्रावली

निदेशक

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग, राजस्थान

क्रमांकः प.4(1)(3)निष्क्रमण/2011–12/222–302 दिनांकः 26.04.2011

कार्यालय आदेश

भेड़ों के निष्क्रमण को नियमित एवं सुचारू रूप से संचालन के लिए निदेशालय पशुपालन विभाग, जयपुर में निष्क्रमण नियंत्रण कक्ष की स्थापना की जाती है। उप निदेशक (निष्क्रमण) इसके नियंत्रण अधिकारी होंगें एवं इसके नियमित एवं सुचारू रूप से कार्य के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होंगे। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर 0141–2743089 है एवं विशेष परिस्थितियों मे दूरभाष नम्बर 0141–2743331 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है। नियंत्रण कक्ष दिनांक 1.7.2011 से प्रभावी होगा।

(राजेश शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः प.4(1)(3)निष्क्रमण/2011–12/222–302 दिनांकः 26.04.2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर/कोटा/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
4. महानिरीक्षक पुलिस रैंज, जयपुर/कोटा/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर
5. जिला कलेक्टर————————
6. जिला पुलिस अधीक्षक————————
7. अतिरिक्त निदेशक (उत्पादन)/(पशु–स्वास्थ्य), निदेशालय
8. संयुक्त निदेशक (स्माल एनीमल),निदेशालय
9. संयुक्त निदेशक क्षैत्र, पशुपालन विभाग————————
10. उप निदेशक, पशुपालन विभाग————————
11. रक्षक पत्रावली

निदेशक

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग, राजस्थान

क्रमांकः प.4(1)(3)निष्क्रमण / 2011–12 / 303–404 दिनांक : 26.04.2011

कार्यालय आदेश

वर्ष 2011–2012 में राज्य में विभिन्न जिलों में भेड़ों का निष्क्रमण प्रारम्भ होने वाला हैं। निष्क्रमण कार्य को नियंत्रित करने के लिए विभाग, द्वारा विभिन्न निष्क्रमण चैकपोस्टों पर कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त कर दिया जावेगा, जहां पर पदस्थापित कर्मचारी निर्धारित तिथि तक अपनी उपस्थिति प्रस्तुत कर देगें। इसके उपरान्त निष्क्रमण कार्य के सुचारू रूप से संचालन एवं जिलेवार निष्क्रमण नोडल अधिकारियों / निष्क्रमण चैकपोस्टों को नियंत्रित करने हेतु निम्नांकित अधिकारियों को दिनांक 1.7.2011 से 31.10.2011 तक नियत्रंण अधिकारी नियुक्त किया जाता है:–

क्र. सं.	नाम अधिकारी	जिले का नाम	दूरभाष नम्बर
1.	उप निदेशक,पशुपालन विभाग, कोटा	कोटा	0744–2385989
2.	उप निदेशक,पशुपालन विभाग, बारां	बारां	07453–230974
3.	उप निदेशक,पशुपालन विभाग, बॅूदी	बूंदी	0747–2442816
4.	उप निदेशक,पशुपालन विभाग, झालावाड़	झालावाड़	07432–232434
5.	उप निदेशक,पशुपालन विभाग, सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	07462–234943
6.	उप निदेशक,पशुपालन विभाग, करौली	करौली	07464–250390
7.	उप निदेशक, पशुपालन विभाग, चितौड़गढ़	चितौड़गढ़	01472–240908
8.	उप निदेशक,पशुपालन विभाग, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	01482–232679
9.	उप निदेशक,पशुपालन विभाग, अलवर	अलवर	0144– 2701764
10.	उप निदेशक,पशुपालन विभाग, धौलपुर	धौलपुर	05642–220897
11.	उप निदेशक,पशुपालन विभाग, भरतपुर	भरतपुर	05644–222640
12.	उप निदेशक,पशुपालन विभाग, राजसमंद	राजसमंद	02952–220600
13.	उप निदेशक,पशुपालन विभाग, डूंगरपुर	डूंगरपुर	02964–232356
14.	उप निदेशक,पशुपालन विभाग, दौसा	दौसा	01427–230306
15.	उप निदेशक,पशुपालन विभाग, उदयपुर	उदयपुर	0294–2418414
16.	उप निदेशक,पशुपालन विभाग, बांसवाडा	बांसवाडा	02962–254086
17	उप निदेशक,पशुपालन विभाग,	प्रतापगढ	9414228123

नियत्रंण अधिकारी जिला प्रशासन, पुलिस एवं वन विभाग तथा जहां जैसी स्थिति हो,

विभाग द्वारा स्थापित चैकपोस्टों पर अधिकारी/कर्मचारियों से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखेगें और समय समय पर आवश्यकता अनुसार जिला प्रशासन एवं निदेशालय को जिले में भेड़ निष्क्रमण की गतिविधियों से अवगत कराते रहेगें तथा सभी प्रकार की सूचनाऐं देते रहंगें, जब तक भेड़े उनके नियंत्रणशील क्षेत्रों में रहेंगी।

नियंत्रण अधिकारी विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखेंगें कि कहीं कोई अप्रिय घटना न हो। निष्क्रमण चैकपोस्टों पर कार्यरत कर्मचारियों को मार्गदर्शन देंगे एवं बीमारियेां की रोकथाम की व्यवस्था करेंगें। इसके अलावा नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वयं एवं उनके नियत्रंणाधीन नोडल अधिकारी, चैकपोस्ट प्रभारी भी विभागीय परिपत्र क्रमांक क्रमांकः प.4(1)(3) निष्क्र/2011–12/101–221 दिनांक 26.04.2011 द्वारा निर्धारित कर्तव्यों एवं दायित्वों का गम्भीरता से पालन कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार की कमी या शिथिलता बरती जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी होगें।

नियंत्रण अधिकारी अपने अपने क्षेत्र की निष्क्रमण की समस्त प्रकार की सूचनाएं प्रत्येक माह की 7 तारीख तक संकलित कर प्रभारी नियंत्रण कक्ष निदेशालय (उप निदेशक, निष्क्रमण) के नाम नियमित रूप से भिजवाएगें। यदि कोई विशेष सूचना हो तो दूरभाष एवं तार द्वारा भी भिजवायेंगें।

उपरोक्त निर्देशों का पालना कठोरता से की जावे।

(राजेश शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः प.4(1)(3)निष्क्रमण/2011–12/303–404 दिनांक : 26.04.2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर/कोटा/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
4. महानिरीक्षक पुलिस रैंज, जयपुर/कोटा/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर
5. जिला कलेक्टर————————
6. जिला पुलिस अधीक्षक——————————
7. अतिरिक्त निदेशक (उत्पादन)/(पशु–स्वास्थ्य), निदेशालय
8. संयुक्त निदेशक (स्माल एनीमल),निदेशालय
9. संयुक्त निदेशक क्षैत्र, पशुपालन विभाग——————————
10. उप निदेशक, पशुपालन विभाग————————
11. रक्षक पत्रावली

निदेशक

राजस्थान सरकार
पशुपालन विभाग, राजस्थान

क्रमांकः प.4(1)(3)निष्क्रमण / 2011–12 / 405–565 दिनांक : 26.04.2011

कार्यालय आदेश

वर्ष 2011–12 में भेड़ों के निष्क्रमण को दृष्टिगत रखते हुए भेड़ों के निष्क्रमण को नियंत्रित एवं नियमित करने हेतु निम्नांकित अधिकारियों को दिनांक 1 जुलाई, 2011 से 31 अक्टूबर, 2011 तक के लिए "नोडल अधिकारी" नियुक्त किया जाता हैं:–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	मुख्यालय	कार्यक्षेत्र
1.	सहायक निदेशक (निष्क्रमण) कोटा	कोटा	जिले में स्थापित स्थाई एवं अस्थाई निष्क्रमण चैक पोस्ट
2.	सहायक निदेशक, पशुधन विकास, बारां	बारां	––यथापरि–––
3.	सहायक निदेशक, पशुधन विकास, बूँदी	बूँदी	––यथापरि–––
4.	सहायक निदेशक, पशुधन विकास, झालावाड़	झालावाड़	––यथापरि–––
5.	सहायक निदेशक, पशुधन विकास, सवाई माघोपुर	सवाईमाधोपुर	––यथापरि–––
6.	सहायक निदेशक, पशुधन विकास, करौली	करौली	––यथापरि–––
7.	सहायक निदेशक, पशुधन विकास, धौलपुर	धौलपुर	––यथापरि–––
8.	सहायक निदेशक, पशुधन विकास, अलवर	अलवर	––यथापरि–––
9.	सहायक निदेशक, पशुधन विकास, उदयपुर	उदयपुर	––यथापरि–––
10.	सहायक निदेशक, पशुधन विकास, विकास,राजसमंद	राजसमंद	––यथापरि–––
11.	सहायक निदेशक, पशुधन विकास, डूंगरपुर	डूंगरपुर	––यथापरि–
12.	सहायक निदेशक, पशुधन विकास, बांसवाडा	बांसवाडा	––यथापरि–––
13.	सहायक निदेशक, पशुधन विकास, दौसा	दौसा	––यथापरि–––

14.	सहायक निदेशक, पशुधन विकास / निष्क्रमण, भरतपुर	भरतपुर	——यथापरि———
15.	प्रभारी, पशु चिकित्सालय, बिजोलिया	बिजोलिया	माण्डलगढ क्षेत्र
16.	प्रभारी, पशु चिकित्सालय, रावतभाटा	रावतभाटा	रावतभाटा क्षेत्र
17.	प्रभारी, पशु चिकित्सालय, बैगू	बैगू	बैंगू क्षेत्र
18.	प्रभारी, पशु चिकित्सालय, डीग	डीग	डीग क्षेत्र
19.	प्रभारी, पशु चिकित्सालय, भुसावर	भुसावर	भुसावर क्षेत्र
20.	प्रभारी, पशु चिकित्सालय, छोंकरवाड़ा	छोंकरवाड़ा	छोंकरवाड़ा क्षेत्र
21.	प्रभारी, पशु चिकित्सालय, कनवाड़ा	कनवाड़ा	कनवाड़ा क्षेत्र

उपरोक्त सभी अधिकारी अपने निर्दिष्ट मुख्यालय पर रहकर अपने क्षेत्र में नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगें तथा समय समय पर निष्क्रमण से संबंधित अधिकारी, जिला कलेक्टर,पुलिस अधीक्षक, वन विभाग तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर निष्क्रमण कार्य के नियंत्रण संबंधी जारी निर्देशों/आदेशों की पालना करेंगें। समय समय पर अपने नियंत्रण अधिकारी एवं प्रशासन को निष्क्रमण की गतिविधियों से अवगत कराते रहेंगें। सभी नोडल अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में निष्क्रमण पर आई भेड़ों की साप्ताहिक सूचना समय समय पर नियंत्रण अधिकारी एवं प्रभारी, निष्क्रमण नियंत्रण कक्ष, निदेशालय व सम्बन्धित जिला कलेक्टरों को निर्धारित प्रपत्र में भेजते रहेंगे।

नोडल अधिकारी विभागीय परिपत्र क्रमांक प.4(1)(3) निष्क्र/2011—12/101—221 दिनांक 26.04.2011 द्वारा निर्धारित कर्तव्यों एवं दायित्वों की गम्भीरता से पालना करेंगें एवं इसमें किसी प्रकार की कमी या शिथिलता बरती जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी होंगें।

चैकपोस्टो ंकी साप्ताहिक सूचना को अवलोकन करते हुए यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अमुक चैकपोस्ट से भेडें यदि बाहर निकल गई हैं तो उन्होंने किस चैक पोस्ट क्षैत्र में प्रवेश किया है ताकि शासन को सही सूचना भेजी जा सके।

(राजेश शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः प.4(1)(3)निष्क्रमण/2011–12/405–565 दिनांक : 26.04.2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर/कोटा/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर
4. महानिरीक्षक पुलिस रैंज, जयपुर/कोटा/उदयपुर/अजमेर/भरतपुर
5. जिला कलेक्टर————————
6. जिला पुलिस अधीक्षक—————————
7. वन संरक्षक————————
8. उप वन संरक्षक————————
9. अतिरिक्त निदेशक (उत्पादन)/(पशु–स्वास्थ्य), निदेशालय
10. संयुक्त निदेशक (स्माल एनीमल),निदेशालय
11. संयुक्त निदेशक क्षैत्र, पशुपालन विभाग—————————
12. उप निदेशक, पशुपालन विभाग————————
13. सम्बधित सहायक निदेशक, पशुधन विकास/निष्क्रमण——————
14. सम्बधित प्रभारी, पशु चिकित्सालय———————
15. रक्षक पत्रावली

निदेशक